मानवाधिकारों की रक्षा मानव ही कर सकता है, कानून नहीं

''मानवाधिकारों की रक्षा मानव ही कर सकता है, कानून नहीं'' यह विचार जस्टिस प्रकाश टाटिया, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित हो रही तीन दिवसीय मानवाधिकार विषय पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होने पुलिस अधिकारियों को अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते कानून को अनुशासित रुप में लागू करने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानूनी दायरे में रह कर करने की बात कही। जस्टिस टाटिया ने बताया कि पुलिस अधिकारी के अच्छे व्यवहार से मानवाधिकार संरक्षण का सकारात्मक पक्ष परिलक्षित होता है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने जस्टिस टाटिया का स्वागत करते हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों तथा यूनिटों से आये अधिकारियों का आवहान किया कि वे यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मानवाधिकार विषय पर अपने जिलों तथा यूनिटों में प्रशिक्षक के रुप में कार्य करें तथा पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार संरक्षण के विभिन्न पक्षों की जानकारी देवें।

श्री राजीव दासोत ने इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्स को इस तरह से डिजाईन किया गया है जिससे मानवाधिकार विषय की विस्तृत जानकारी मिले तथा पुलिस अधिकारी इस विषय से संबंधित सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षों को समझ कर अपने कर्तव्य का भली प्रकार निर्वहन कर सके।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित हो रही तीन दिवसीय मानवाधिकार विषय पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यशाला में राजस्थान के विभिन्न जिलों तथा यूनिटों के 35 पुलिस अधिकारी भाग ले रहे है, जो प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात मानवाधिकार विषय पर अपने जिलों तथा यूनिटों में प्रशिक्षकों का कार्य करेंगें। कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों का कोर्स डायरेक्टर श्रीमति अनुकृति उज्जैनिया तथा सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री धीरज वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।